

2												
जमाराशियां - (i) आवर्ती (ii) दैनिक (iii) मीयादी (iv) अन्य												
3 अनिवासी खाते												
4 अग्रिम - (i) नकदी ऋण (ii) मीयादी ऋण (iii) बिल (iv) अन्य												
5 अंतर- शाखा खाते												
6 तुलन-पत्र से इतर -												

(i) साख- पत्र												
(ii) गारंटी												
(iii) सह- स्वीकृति												
(iv) अन्य												
7 अन्य												
कुल												

नोट : वे भारतीय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जिनके विदेश में कार्यालय / शाखाएं हैं, उनके उपर्युक्त आंकड़े देशी स्थिति से संबंधित रहेंगे । उनकी विदेशी शाखाओं / कार्यालयों से संबंधित आंकड़े उपर्युक्त इसी फार्मेट में एक अलग शीट पर दर्शाए जाएं।

भाग-बी - -----तिमाही के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों का श्रेणी-वार वर्गीकरण

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का नाम : -----

श्रेणी	दुर्विनियोजन तथा आपराधिक विश्वासघात		धोखे से नकदीकरण/ लेखा-बाहियों में हेराफेरी तथा संपत्ति का परिवर्तन		गैर-कानूनी परितुष्टि के लिए अनधिकृत ऋण सुविधा देना		लापरवाही तथा नकदी कम हो जाना		धोखेबाज़ी तथा जालसाज़ी		विदेशी मुद्रा लेनदेनों में अनियमित-ताएं		अन्य		कुल	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
एक लाख रुपए से कम																
एक लाख रुपए और उससे अधिक किन्तु एक करोड़																

रुपए से कम																	
एक करोड़ रुपए और उससे अधिक																	
कुल																	

भाग -सी ----- तिमाही के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों का अपराधी-वार वर्गीकरण

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का नाम : -----

श्रेणी	स्टाप		ग्राहक		बाहरी व्यक्ति		स्टाप तथा ग्राहक		स्टाप तथा बाहरी व्यक्ति		ग्राहक तथा बाहरी व्यक्ति		स्टाप, ग्राहक तथा बाहरी व्यक्ति		कुल	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
एक लाख रुपए से कम																
एक लाख रुपए और उससे अधिक किन्तु एक करोड़ रुपए से कम																

एक करोड़ रुपए और उससे अधिक																
कुल																

नोट 1. उपर्युक्त श्रेणी-वार वर्गीकरण मुख्यतः भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों पर आधारित है ।

2. सभी राशियां लाख रुपयों में दो दशमलव अंकों तक दर्शाई जाएं ।

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पिछली तिमाही के दौरान रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट की गई एक लाख रुपए और उससे अधिक की सभी धोखाधड़ियां **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी** के बोर्ड को भी रिपोर्ट की गई हैं तथा उपर्युक्त भाग 'क' (कॉलम 4 तथा 5) एवं भाग 'ख' तथा 'ग' में शामिल की गई हैं ।

हस्ताक्षर:

नाम तथा पदनाम:

स्थान:

दिनांक: